राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 615 / 2025

क्षितिज फगेडिया –अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, जयपुर।
3. महेन्द्र कुमार मीना, नर्सिंग अधिकारी, महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.03.2025
आदेश की दिनांक : 26.03.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री हितेश विश्नोई, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त परमार, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4 ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर मेडिकल कॉलेज, सीकर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदे" ा दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन से महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर में निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 महेन्द्र कुमार मीना को समंजन करने के उद्देश्य से करीब 350 किमी दूर किया गया है तथा कार्यालय आदेश दिनांक 27.01.2025 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर उसके नवीन पदस्थापन स्थान महात्मा गांधी चिकित्सालय, जोधपुर में उपस्थित होने के निर्देश जारी किए।
3. अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी के 64 वर्षीय पिता जो गम्भीर मानसिक बीमारी से ग्रसित है (अनुलग्नक–3), जिनकी देखभाल करने के लिए अपीलार्थी के अलावा अन्य कोई

नहीं है। अपीलार्थी की पत्नी मेडिकल कॉलेज, सीकर में कार्यरत है (अनुलग्नक–5)। राज्य सरकार की नीति रही है कि यदि पत्नी दोनों राजकीय सेवा में हो तो उन्हें यथा संभव निकटतम स्थान पर पदस्थापित रखा जावे।

4. अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही कार्य करने दिया जावे।

5. हमने उभयपक्ष की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

6. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। अपीलार्थी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर मेडिकल कॉलेज, सीकर में कार्यरत है, जिसका स्थानांतरण आलोच्य आदे" I दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा महात्मा गांधी अस्पताल, जोधपुर में निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 महेन्द्र कुमार मीना के स्थान पर किया गया है। उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पिता गम्भीर मानसिक बीमारी से ग्रसित है एवं उपचाररत है।

7. उक्त स्थिति के दृष्टिगत प्रकरण में हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत नियमानुसार नियत समयावधि में अभ्यावेदन का निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावे जहां आलोच्य आदेश जारी किए जाने से पूर्व कार्यरत था। साथ ही निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

8. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य